रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 14, 1974/माघ 25, 1895
No 79] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 1974/MAGHA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February 1974

S.O. 110(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 5 of the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 (12 of 1953), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Khadi and other Handloom Industries Development (Exemption from Payment of Additional Excise Duty on Certain Varieties of Rayon and Art-Silk and Woollen Fabrics) Rules, 1974.

(2) They shall be deemed to have come into force two years before the date of their Publication in the Official Gazette.

2. **Exemption from Payment of Duty.**—Rayon and art-silk fabrics and woollen fabrics produced on handlooms and processed with the aid of power shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon under the Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Duty on Cloth) Act, 1953 (12 of 1953).

[No. F.15012/4/72-TEX.IV]

MANI NARAYANSWAMI, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1974

का० आ० 110(अ).—खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1953 (1953 का 12) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम खादी तथा अन्य हथकरघा विकास (रेयन तथा कृत्रिम रेशम और ऊन के तन्तुकृतों की कतिपय किस्मों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट) नियम, 1974 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष पूर्व प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. **शुल्क के संदाय से छूट:**—हथकरघा द्वारा उत्पादित और शक्ति की सहायता से प्रसंस्कृत रेयन तथा कृत्रिम रेशम और ऊन के तन्तुकृतों को खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पादक-शुल्क) अधिनियम, 1953 (1953 का 12) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पादक-शुल्क से छूट दी जाएगी ।

[सं० फा० 15012/4/72-वस्त्र-IV]

मणि नारायणस्वामी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974